

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-52/2018/889/पांच-8-2018-जी0(300)/2016

लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 सुभि यादव, पुत्री श्री गजोधर सिंह को चिकित्सा अनुभाग-8 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-131/4053/पांच-8-2016-जी(300)/2016, दिनांक 22-12-2016 (सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/3660/पांच-8-2016-जी(272)/2016, दिनांक 29-11-2016) द्वारा एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (ई0एम0ओ0) के पद पर नियुक्त करते हुए 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई में तैनात किया गया था।

2- इस संबंध में डा0 सुभि यादव के दिनांक रहित प्रार्थना पत्र पर किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल डा0 सुभि यादव (ई0एम0ओ0) की 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई में की गई तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के अधीन तैनात किये जाने के आदेश देते हैं।

3- डा0 सुभि यादव चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपनी नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/3660/पांच-8-2016-जी(272)/2016, दिनांक 29-11-2016 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-131/4053/पांच-8-2016-जी(300)/2016, दिनांक 22-12-2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।


रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

संख्या-52/2018/889(1)/पांच-8-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद/लखनऊ मण्डल।
- 4- अधिशासी निदेशक, 30प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, 30प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी/हरदोई/रायबरेली।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी/हरदोई/रायबरेली।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

१२

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।